

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि कि किरणी अब्दुल पदाधिकारी के नाम से।
उन्होंने व्यवहार कुलपति हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्रान : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5187

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री शांति किशोर शिक्षा महाविद्यालय, शिर्ख के सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/अंवालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वालित विभागों से समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442868)

(2) प्रो. ए.के. हल्ले, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिलेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथ प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधीय समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वर्यं उत्तरदायी होगा। विद्यकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बहीं करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो जावेगी और पुराना विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् दी विरीक्षण समिति का पुर्वगति किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवाह घानों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करावें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।

3
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक नियरिटा कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RKM
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)